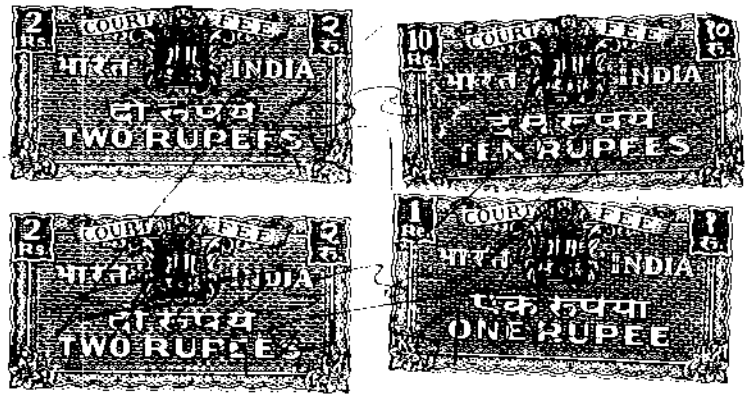

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2005 निगरानी

P. 1198-II/2005

15 APR 2005

(1) सुजान सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह
(2) सुन्दर सिंह पुत्र श्री मुरली सिंह
दोनों निवासीगण ग्राम कौंरा,
परगना व जिला भिण्ड, म0प्र0
-- प्रार्थीगण

विरुद्ध

(1) नारायण सिंह पुत्र भीमसिंह
(2) बलेतसिंह पुत्र श्री भीमसिंह
दोनों निवासीगण ग्राम कौंरा परगना व जिला भिण्ड, म0प्र0
(3) रघुनाथ सिंह
(4) वीरेन्द्र सिंह
(5) [illegible] रामनरेश सिंह
तीनों पुत्रगण श्री तुलसीराम सिंह
जाति ठाकुर, निवासीगण ग्राम कौंरा,
परगना व जिला भिण्ड, म0प्र0
(6) भास्कर सिंह
(7) परशुराम सिंह
पुत्रगण श्री जगराम सिंह जाति ठाकुर
निवासीगण ग्राम कौंरा हाल ग्राम
नौरेंठी, तहसील जौरा, जिला मुरैना
म0प्र0
(8) भानसिंह पुत्र श्री देवनाथ सिंह

---- 2

R- 498 25/07

(९) रामऔतार सिंह
तीनों पुत्रगण श्री केशव सिंह, जाति ठाकुर, निवासी ग्राम कौंरा, परगना व जिला भिण्ड, म०प्र०

(१०) राजेन्द्र सिंह

(११) सुरेन्द्र सिंह

(१२) राघवेन्द्र सिंह
तीनों पुत्रगण श्री कुंवर सिंह जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम कौंरा, परगना व जिला भिण्ड, म०प्र०

(१३) महावीर सिंह

(१४) शत्रुघ्न सिंह

(१५) भरत सिंह
पुत्रगण श्री कुंवर सिंह जाति ठाकुर निवासीगण ग्राम कौंरा, परगना व जिला भिण्ड, म०प्र०

(१६) श्रीमती तारा देवी बेवा श्री कुंवर सिंह निवासिनी ग्राम कौंरा, परगना व जिला भिण्ड, म०प्र० -- --

अभियुक्तगण

R 2/5/0

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 498–दो/2005 जिला–भिण्ड

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-8-16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्र0क्र0 184/2002–03/अपील में पारित आदेश दिनांक 31.03.2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959(जिसे आगे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ढोंचरा स्थित प्रक्षाधीन भूमि का बटवारा हेतु, आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र अपर तहसीलदार वृत्त ऊंमरी, जिला–भिण्ड के समक्ष पेश किया गया । अपर तहसीलदार वृत्त ऊंमरी, जिला–भिण्ड ने प्रकरण क्रमांक 1/1999–00/अ–27 दर्ज किया तथा आदेश दिनांक 24.08.2001 को बटवारा का आदेश पारित किया गया । अपर तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें प्र0क्र0 5/2001–02/अपील माल में दर्ज किया जाकर दिनांक 21.07.2003 से प्रस्तुत अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के आदेश दिनांक 21.07.2003 से परिवेदित होकर अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय	

में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो प्र0क्र0 184/1999–00/अपील माल में दर्ज होकर आदेश दिनांक 31.03.2005 को अस्वीकार की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखा गया । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अपीलीय न्यायालयों ने विशेषकर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन भी नहीं किया । वर्तमान प्ररकण में सर्वे क्रमांक 1885 विवादित ही नहीं है । सर्वे क्रमांक 1885 ग्राम बिलाव में स्थित है, जो वर्तमान प्रकरण से संबंधित है । अनुविभागीय अधिकारी ने अभिलेख के अवलोकन के बिना ही इस सर्वे नम्बर को प्रतिप्रार्थी को दिये जाने का आदेश दिया है जो किसी भी प्रकार से पालनीय न होने के कारण मान्य किये जाने योग्य नहीं है । द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने भी अभिलेख का अवलोकन नहीं किया तथा आवेदकगण की स्पष्ट आपत्ति के होते हुये भी प्रथम अपीलीय न्यायलय के आदेश की पुष्टि करने की भूल की है । उन्होंने तर्क मे यह भी बताया कि सर्वे क्र0 1885 वर्तमान प्रकरण से संबंधित है किन्तु इस सर्वे क्र0 के कब्जे के सम्बन्ध में अपर आयुक्त चम्बल ने विवादित आदेश के पद क्र0 5 में स्थंगन आवेदन पत्र को आधार लेते हुये जो आदेश पारित किया है वह न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । साक्ष्य से प्रतिप्रार्थी क्र0 1 का कब्जा सिद्ध नहीं है और स्थंगन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों से कब्जे की पुष्टि नही हो सकती । आवेदकगण की ओर से जो

अभिनिर्धारण अपर आयुक्त चम्बल के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे वे अभिनिर्धारण वर्तमान प्रकरण में पूर्ण रूप से लागू है । इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत 1990 रेवेन्यू निर्णय पृष्ठ 187, 2000 रेवेन्यू निर्णय पृष्ठ 432, 1981 ए0आय0आर0 पृष्ठ 77 एवं 2001 रेवेन्यू निर्णय 205 उल्लेखनीय किया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक क्र0 1 की ओर से अधिवक्ता श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण में वही तर्क लिये गये है जो प्रस्तुत दस्तावेजों में है । अतः तर्क दूबारा न दोहराते हुये अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि ग्राम ढोंचरा स्थित प्रष्नाधीन भूमि का बटवारा हेतु, आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र अपर तहसीलदार वृत्त ऊमरी, जिला–भिण्ड के समक्ष पेश किया गया । जिस पर अनावेदकगण द्वारा आपत्ति पेश कर अवगत कराया कि पटवारी द्वारा अनावेदक व अन्य सहखातोदारों की सहमति के बिना फर्द तैयार की गई है । विवादित आराजी क्र0 112/1 रकबा 0.66 है0 में से रकबा 0.120 है पर पष्चिम दिशा की ओर उक्त नम्बर में विभाजन मेड़ डालकर अनावेदक काबिज काष्त है । यही नम्बर बटवारा में अनावेदक को मिलना चाहिये था, जिसका प्रमाणीकरण साक्ष्य द्वारा कराया गया है ।

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अकारण ही अनावेदक की आपत्ति अमान्य कर पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारा स्वीकार करने में भूल की है । अधनीस्थ न्यायालय में संहिता की धारा–178 के अन्तर्गत सभी सहखातेदारों को सूचना नहीं दी। विज्ञप्ति का प्रकाशन निर्धारित प्रारूप पर नहीं किया । उनका विधि अनुसार प्रकाशन नहीं कराया । अनावेदक की आपत्ति यह भी थी कि मौजा पटवारी ने किष्म जमीन सिचिंत, असिंचित तथा भूमि की उपजाऊ शक्ति एवं भूमि की कीमत और कब्जा के अनुसार फर्द तैयार नहीं की है । मात्र आवेदक के कहे अनुसार फर्द तैयार कर बगैर अनावेदक की आपत्ति का निराकरण कर मात्र यह कह कर कि एक व्यक्ति द्वारा आपत्ति की गई, अनोवदक की आपत्ति का आवेदन–पत्र अधीनस्थ न्यायलय द्वारा निरस्त किया गया ।

6/ प्रकरण में सहखातेदार सनमान सिंह की जून 2001 में मृत्यु हो गई थी, उनके वारिसों को रिकार्ड पर लाये बगैर मृतक पक्षकार के विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया । अधीनस्थ तहसील न्यायालय को चाहिये था कि पहले अनावेदक की आपत्ति का निराकरण करते, तथा बहस श्रवण कर, उसके पष्चात आदेश पारित करते । जबकि प्रकरण में ऐसा कुछ नहीं किया गया और अवैध आदेश पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य था। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने में कोई भूल नहीं की है । मौजा पटवारी द्वारा तैयार की गई फर्द पर अनावेदक नारायण सिंह ने भी आपत्ति विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसमें

तहसील न्यायालय द्वारा प्र0क्र0 3/1999–00/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2001 को यह मानकर कि अनावेदक के गवाह को यह मालूम नहीं है कि किस सर्वे नं0 के कितने हिस्से पर नारायण सिंह का कब्जा है । विचारण न्यायालय ने अनावेदक के गवाह के इस कथन को संदेहस्पद मानकर आपत्ति निरस्त कर दी । जबकि अन्य सभी गवाहों द्वारा ऐसा ही कथन किया गया, जिसे विचारण न्यायालय ने संदेह से परे नहीं माना है । प्रकरण में किसी भी साक्ष्य द्वारा न तो यह सिद्ध किया है कि किस सर्वे नं0 पर कौन पक्षकार कितना रकबा जमीन जोत व बुआई कर रहा है । गवाहों के कथन से यह तथ्य जरूर सामने आया है कि जिसका जितना घरू बटवारे में हिस्सा मिला है वह उतने हिस्से पर काबिज है । यहां विवाद को सुलझाने के लिये विचारण न्यायालय को चाहिये था कि मौके पर जाकर समस्त पक्षकारों को बुलाते और यह जांच करते कि जिस हिस्से की अनावेदक मांग कर रहा है क्या उस पर वह मुताबित घरू बटवारा काबिज है, जिस सर्वे नं0 कि जितनी भूमि की वह मांग कर रहा है अथवा नहीं। प्रष्न यह नहीं है कि अनावेदक ने ही क्यों आपत्ति की । प्रष्न यह नहीं है कि अनावेदक के अलावा यदि किसी अन्य सहखातेदार के हिस्से की जमीन घरू बटवारे के मुताबिक उसे मिलती या उसके हित प्रभावित होते तो वह आपत्ति नहीं करता क्या । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1986 राज.नि. 90 इस प्रकरण में लागू नहीं होता है । क्योंकि उक्त पक्षकार जो आवेदक अभिभाषक द्वारा बताये गये है उनके हितों पर कोई

विपरीत प्रभाव डालने वाला यह वाद नहीं है । न्यायिक दृष्टांत 1989(1) म0प्र0वी0 नोट 195 में यह प्रतिपादित किया गया है कि किसी प्रतिवादी को पक्षकार बनाना या हटाना केवल मूल वाद पत्र के अभिवचनों पर विचार किया जाना चाहिये। न्याय दुष्टांत 1999 रा.नि. 147 एवं न्याय दुष्टांत 1987 राज.नि. 272 भी इस प्रकरण में इसलिये लागू नहीं होते हे कि अपीलीय न्यायालय में अनावेदक ने धारा 52 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि आवेदक, अनावेदक द्वारा बोई गई फसल को उलटने की फिराक में है जिससे यह सिद्ध होता है कि विवादित भूमि पर अनावेदक का पूर्व से कब्जा है क्योंकि जब तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित किया गया तब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, अन्यथा सभी सहखातेदार पूर्व में हुये घरू बटवारे के मुताबिक ही अपने–अपनी हिस्से की भूमि जोत व बुआई कर रहे थे । तहसील न्यायालय के बटवारा आदेश से विवाद उत्पन्न हुआ है । इससे पूर्व विवाद बटवारा नहीं था । न्यायिक दृष्टांत 1981 ए.आई.आर. 77 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " सहअंशधारी का कब्जा, दूसरे सह अंशधारी के प्रतिकूल नहीं हो सकता।" न्याय दृष्टांत 2001 राजस्व निर्णय 205 सेवाराम तथा एक अन्य विरूद्ध मंगल सिंह में राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है अिक " प्रत्येक भूमि स्वामी को आवंटित किये जाने के लिये सह भूमिस्वामियों द्वारा अपनी भूमियां विनिदिष्ट की गई है – मान्य की जाना चाहिये । एक भूमिस्वामी ने भूमि के एक भाग को अपने स्वयं का होने का दावा किया जांच की जाना चाहिये । प्रत्येक भूमि स्वामी को

सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये।" अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड ने अपने आदेश में विचारण न्यायालय का आलोच्य आदेश निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है, जो कि मेरे मतानुसार उचित है । अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने भी अपने आदेश दिनांक 31.03.2005 से अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड के द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी, भिण्ड एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है, जिसमें किसी तरह के हस्तक्षेप करने की आवष्यकता नहीं है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है और अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के द्वारा पारित आदेश 21.07.2003 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2005 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण समाप्त होकर अभिलेख दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य